भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARY GOVT. OF INDIA

11 MAY 2023

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FZ 866803

21/06/23

(प्रारूप-"अ")

सत्र 2023–24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ–पत्र का प्रारूप

हम भान सिंह (नाम अध्यक्ष) एवं अनुज कुमार सिंह (नाम सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव श्रीकृष्णा टेक्नालाजिकल रिसर्च एण्ड डेवलेपमेन्ट चैरिटेबल ट्रस्ट, 99बी/8सी पूरा दलेल अल्लापुर, प्रयागराज (सोसाइटी / ट्रस्ट की नाम एवं पता) शपथपूर्वत निम्नवत् बयान करते है –

1. यह कि, हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा एन.के. कालेज ऑफ फार्मेसी, बाका, रीवा रोड, प्रयागराज संस्था का नाम एवं पता नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि, हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम धनुहा (पता जहां पर भूमि स्थित है) में गाटा संख्या 57 एवं 60 रकबा क्रमशः 0.2530 हेक्टेयर एवं 0.2050 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.4580 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि, उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 57 एवं 60 रकबा क्रमशः 0.2530 हेक्टेयर एवं 0.2050 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.4580 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रास्ताव सोसाइटी / ट्रस्ट की बैठक दिनांक 01.10.2019 पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्माण एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्थान में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र.लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई.टी.आई. आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न हि भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालायों आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरिक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

NOTARY
P.K. Dwivedi
Advocate Notary
Reg. No.-17..
GOVT. OF INDIA

ह. सचिव

ह. अध्यक्ष

Sn........
Identified by........
Advocate to be his/her........ to
are true and correct which
Verified and attested

21/06/23

P.K. Dwivedi
Advocate Notary
Govt. of India

IDENTIFIED BY
ADVOCATE PRAYAGRAJ